

बिहार सरकार,  
कृषि विभाग।

पत्र संख्या-पी0पी0एम0-30/2016- 2836 /कृ0, पटना, दिनांक 18-07 - 2017

प्रेषक,

सुधीर कुमार  
प्रधान सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,  
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रूप द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)  
से परामर्शित।

विषय : राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्रों में वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य स्कीम अन्तर्गत कुल 1987.82 लाख (उन्नीस करोड़ सतासी लाख बेरासी हजार रुपये) की लागत से खरीफ, रबी एवं गरमा मौसम में बीज उत्पादन कार्यक्रम का कार्यान्वयन तथा व्यय की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्रों में वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य स्कीम अन्तर्गत कुल 1987.82 लाख (उन्नीस करोड़ सतासी लाख बेरासी हजार रुपये) की लागत से खरीफ, रबी एवं गरमा मौसम में बीज उत्पादन कार्यक्रम का कार्यान्वयन तथा व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. कृषि रोड मैप के अधीन राज्य में गुणवत्ता युक्त उत्तम किस्म के बीज का उत्पादन तथा उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों में बीज उत्पादन का कार्यक्रम तैयार किया गया है। इसके फलस्वरूप गुणवत्ता युक्त उत्तम किस्म के बीज की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी, जिससे उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि होगी।

3. बीज उत्पादन कार्यक्रम, खरीफ वर्ष 2017-18 :-

क्र० सं०	फसल	क्षेत्रफल (हे० में)	उत्पादन का लक्ष्य (क्विं० में)
1	धान	1050.00	25200.00
2	अरहर	215.00	2150.00
3	उड़द	20.00	160.00
4	लोबिया	40.00	320.00
5	कुलथी	20.00	200.00
6	मुंगफली	20.00	160.00
7	सोयाबीन	20.00	200.00
8	तिल	8.00	40.00
9	मक्का	25.00	500.00
10	बाजरा (ओ०पी०)	18.00	180.00
11	बाजरा (संकर)	1.00	10.00
12	मरुआ (रागी)	152.00	1520.00
13	इटालियन मिलेट (कौनी)	5.00	40.00
14	कॉमन मिलेट	5.00	40.00
15	बर्डयार्ड मिलेट (साँवा)	3.00	24.00
16	जूट	41.00	205.00
17	मेस्ता	2.00	10.00
कुल योग		1645.00	30959.00

4. बीज उत्पादन कार्यक्रम, रबी वर्ष 2017-18 :-

क्र० सं०	फसल	क्षेत्रफल (हे० में)	उत्पादन का लक्ष्य (क्वि० में)
1	गेहूँ	950.00	19000.00
2	खेसारी	12.00	96.00
3	चना	100.00	800.00
4	मसूर	335.00	2680.00
5	मटर	50.00	400.00
6	राजमा	25.00	200.00
7	राई/सरसों/तोरिया	180.00	1440.00
8	तीसी	10.00	80.00
कुल योग		1662.00	24696.00

5. बीज उत्पादन कार्यक्रम, गरमा वर्ष 2017-18 :-

क्र० सं०	फसल	क्षेत्रफल (हे० में)	उत्पादन का लक्ष्य (क्वि० में)
1	मूंग	100.00	800.00
2	उड़द	40.00	320.00
3	तिल	12.00	60.00
कुल योग		152.00	1180.00

6. राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्रों के बीज उत्पादन कार्यक्रम वर्ष 2017-18 का वित्तीय वार्षिक कार्य योजना : (राशि : लाख रुपये में)

क्र० सं०	कार्य मद	आदेयता/दायित्व मद में राशि की आवश्यकता	खरीफ वर्ष 2017 के लिये राशि की आवश्यकता	रबी वर्ष 2017-18 के लिये राशि की आवश्यकता	गरमा वर्ष 2017-18 के लिये राशि की आवश्यकता	अन्य मद में राशि की आवश्यकता	वर्ष 2017-18 के लिये कुल राशि की आवश्यकता
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रजनक/आधार बीज का क्रय	150.00	38.10	100.42	5.10	0.00	293.62
2	बीज उत्पादन लागत	16.25	526.95	510.50	38.00	0.00	1091.70
3	प्रक्षेत्रों का सुदृढीकरण	0.00	0.00	0.00	0.00	482.00	482.00
4	विविध/आकस्मिकता	0.00	0.00	0.00	0.00	120.50	120.50
योग		166.25	565.05	610.92	43.10	602.50	1987.82

7. उपर्युक्त मदों से संबंधित राशि की आवश्यकता की विवरणी अनुसूची-7 पर अनुलग्न है।

8. वर्ष 2017-18 में कुल 52 कृषि अनुमंडल अंतर्गत 234 राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्र एवं सात राजकीय जिला प्रक्षेत्र कुल 241 राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों में खरीफ, रबी एवं गरमा मौसम में बीज उत्पादन कार्यक्रम चलाया जायेगा। खरीफ मौसम में धान, अरहर, उड़द, लोबिया, कुलथी, मूंगफली, सोयाबीन, तिल, मक्का, बाजरा (ओपी), बाजरा (संकर), मरुआ (रागी), इटालियन मिलेट (कौनी), कॉमन मिलेट (चीना), बर्नयार्ड मिलेट (सांवा), जूट एवं मेस्ता, रबी मौसम में गेहूँ, खेसारी, चना, मसूर, मटर, राजमा, राई/सरसों/तोरिया एवं तीसी तथा गरमा मौसम में मूंग, उड़द एवं तिल का बीज उत्पादन करने की योजना है। बीज की उपलब्धता, प्रक्षेत्र की स्थानीय उपयुक्तता एवं परिस्थिति के आलोक में अनुमंडल कृषि पदाधिकारी एवं जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा क्रमशः कृषि अनुमंडल अंतर्गत बीज गुणन प्रक्षेत्र एवं जिला प्रक्षेत्र स्तर पर प्रक्षेत्रवार एवं फसलवार आच्छादन लक्ष्य निर्धारित कर बीज उत्पादन कार्यक्रम का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा (फसलवार तथा अनुमंडल एवं जिला प्रक्षेत्र स्तर पर आच्छादन एवं उत्पादन लक्ष्य अनुसूची-1, 1(i), 1(ii) एवं 1(iii) पर अनुलग्न)।

9. प्रजनक/आधार बीज का क्रय, भंडारण, रख-रखाव एवं वितरण हेतु जिला कृषि पदाधिकारी, पटना नोडल पदाधिकारी होंगे। जिला कृषि पदाधिकारी, पटना कृषि निदेशक, बिहार के द्वारा नामित एवं प्राधिकृत पदाधिकारी के माध्यम से आवंटित प्रजनक/आधार बीज का क्रय, प्राप्ति, भंडारण एवं वितरण का कार्य सुनिश्चित करेंगे।

10. अनुमंडल कृषि पदाधिकारी एवं जिला कृषि पदाधिकारी कमशः बीज गुणन प्रक्षेत्र एवं जिला प्रक्षेत्र में बीज उत्पादन हेतु फसलवार प्रति हेक्टेयर निर्धारित व्यय अधिसीमा का इकाई लागत विवरणी वैज्ञानिक अनुशांसा के आधार पर तैयार कर अपने निकटस्थ नियंत्री पदाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करेंगे एवं उक्त के आलोक में बीज उत्पादन कार्यक्रम सुनिश्चित करेंगे। उक्त मद में राशि का व्यय प्रति हेक्टेयर निर्धारित व्यय अधिसीमा के अंतर्गत वास्तविक कार्य एवं उपादन प्रयोग के अधार पर सुनिश्चित किया जायेगा।

11. प्रजनक बीज के क्रय मद में स्वीकृत एवं आवंटित राशि की निकासी एवं व्यय की पूर्ण जवाबदेही जिला कृषि पदाधिकारी, पटना की होगी। जिला कृषि पदाधिकारी, पटना उक्त मद में आवंटित राशि की निकासी कर प्रजनक बीज/आधार बीज के क्रय मद में भुगतान की गयी राशि का समायोजन सुनिश्चित करेंगे (फसलवार प्रजनक बीज के क्रय मद में राशि की आवश्यकता की विवरणी अनुसूची-2 पर अनुलग्न)।

12. बीज उत्पादन लागत के रूप में धान एवं गेहूँ में रू०. 35000/- (पैंतीस हजार रूपये) प्रति हे०, मूंगफली, मक्का, मरुआ (रागी), जूट एवं मेस्ता के लिए रू० 30000/- (तीस हजार रूपये) प्रति हे०, अरहर, मूंग, उड़द, लोबिया, कुलथी, सोयाबीन, तिल, बाजरा (ओपी), बाजरा (संकर), खेसारी, चना, मसूर, मटर, राजमा, राई/सरसों/तोरिया एवं तीसी के लिए रू० 25000/- (पच्चीस हजार रूपये) प्रति हे०, तथा इटालियन मिलेट (कौनी), कॉमन मिलेट (चीना), बर्नयार्ड मिलेट (सांवा) के लिये रू० 15000/- (पन्द्रह हजार रूपये) प्रति हे० व्यय की अधिसीमा होगी (फसलवार एवं मौसमवार तथा अनुमंडल एवं जिला प्रक्षेत्र स्तर पर उत्पादन लागत की विवरणी अनुसूची-3, 3(i), 3(ii) एवं 3(iii) पर अनुलग्न)।

13. लक्ष्यानुसार प्रजनक बीज उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में सरकारी बीज उत्पादक संस्थानों/कृषि विश्वविद्यालय/कृषि विज्ञान केन्द्र से आधार बीज का क्रय कर आच्छादन लक्ष्य पूरा किया जाएगा।

14. प्रक्षेत्रों के सुदृढीकरण मद अंतर्गत स्वीकृत राशि का उपयोग भूमि समतलीकरण, पुराने आधारभूत संरचना यथा पक्का गोदाम, पक्का थ्रेसिंग फ्लोर की मरम्मति, कृषि यंत्रों का क्रय एवं मरम्मति, विद्युत संबद्धीकरण एवं आपूर्ति, ट्र्यूबवेल की स्थापना एवं मरम्मति, उत्पादित बीज सुखाने हेतु आई०एस०आई० मार्क एच०डी०पी०ई० टारपोलीन का क्रय, नीलगाय, बनैया सुअर एवं अन्य जंगली जानवर से सुरक्षा हेतु बायो एकोस्टिक हारमोनिक क्यु-3 इक्युपमेंट का क्रय आदि मद में किया जाएगा। उक्त मदों में राशि का व्यय कार्यों की आवश्यकता आधारित प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जायगा। कार्यान्वयन एजेन्सी उक्त मद में निर्धारित राशि अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर व्यय की कार्य योजना तैयार कर अपने निकटस्थ नियंत्री पदाधिकारी से अनुशांसा प्राप्त करेंगे। तदनुसार अनुशांसा के आलोक में कार्यान्वयन एवं व्यय सुनिश्चित करेंगे (प्रक्षेत्रों के सुदृढीकरण मद में राशि की आवश्यकता की विवरणी अनुसूची-4 पर अनुलग्न)।

15. प्रक्षेत्रों के सुदृढीकरण अंतर्गत पुराने आधारभूत संरचना की मरम्मति, विद्युत संबद्धीकरण एवं आपूर्ति तथा ट्र्यूबवेल की स्थापना आदि का कार्यान्वयन स्थानीय सक्षम अभियंता/एजेन्सी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय प्रावधानों के आलोक में किया जायेगा।

16. प्रक्षेत्रों के सुदृढीकरण अंतर्गत कृषि यंत्र एवं अन्य चिन्हित यंत्र/साधन का क्रय निकटस्थ नियंत्री पदाधिकारी से प्राप्त अनुमोदन एवं वित्तीय प्रावधानों के आलोक में किया जायेगा।

17. विविध/आकस्मिकता मद में राशि का उपयोग आवश्यकतानुसार बीज निबंधन एवं निरीक्षण शुल्क, विद्युत आपूर्ति शुल्क, ट्रैक्टर/कम्बाईड हार्वेस्टर एवं अन्य सेल्फ प्रोपेल्ड कृषि यंत्र/मशीन का बीमा प्रीमीयम, उत्पादित राँ बीज को बिहार राज्य बीज निगम के गोदाम तक पहुँचाने हेतु उठाव एवं परिवहन आदि मद में व्यय के लिये किया जायेगा (विविध आकस्मिकता मद में राशि की आवश्यकता की विवरणी अनुसूची-5 पर अनुलग्न)।

18. आदेयता/दायित्व मद की राशि का उपयोग पूर्व वर्ष में बीज उत्पादन कार्यक्रम अंतर्गत परिस्थितिवश फसलों में आवश्यक परिवर्तन करने के फलस्वरूप अतिरिक्त व्यय, आच्छादन लक्ष्य को पूरा करने के लिये अनुमंडल/जिला प्रक्षेत्र स्तर पर प्रजनक/आधार बीज का क्रय, यंत्रों/मशीन की आकस्मिक मरम्मत आदि के फलस्वरूप आदेयता राशि के भुगतान हेतु किया जायेगा (आदेयता/दायित्व मद में राशि की आवश्यकता की विवरणी अनुसूची-6 पर अनुलग्न)।

19. प्रक्षेत्रों में बीज उत्पादन कार्यक्रम अंतर्गत आवंटित कार्य मद यथा बीज उत्पादन, प्रक्षेत्रों का सुदृढीकरण, विविध/आकस्मिकता एवं आदेयता/दायित्व मद में व्यय हेतु जिला प्रक्षेत्रों के लिये कार्यान्वयन एजेन्सी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी होंगे तथा कृषि अनुमंडल अंतर्गत अन्य राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्रों के लिये कार्यान्वयन एजेन्सी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/प्रभारी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी होंगे (मदवार राशि की आवश्यकता की विवरणी अनुसूची-7 पर अनुलग्न)।

20. जिन बीज गुणन प्रक्षेत्रों में प्रक्षेत्र प्रभारी पदस्थापित नहीं है उन प्रक्षेत्रों में बीज उत्पादन कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु प्रक्षेत्र से संबंधित पंचायत के किसान सलाहकार, प्रक्षेत्र प्रभारी के दायित्व का निर्वहन करेंगे। उक्त अतिरिक्त कार्य के लिए संबंधित किसान सलाहकार को एक वित्तीय वर्ष में एक माह का अतिरिक्त मानदेय विविध/आकस्मिकता मद से अनुमान्य होगा। बीज उत्पादन कार्यक्रम के कार्यान्वयन की पूर्ण जवाहदेही संबंधित किसान सलाहकार की होगी।

21. कृषि विभाग की योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु नियोजित कृषि समन्वयक अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले बीज गुणन प्रक्षेत्रों में बीज उत्पादन कार्यक्रम का तकनीकी पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण सुनिश्चित करेंगे। प्रक्षेत्रों में बीज उत्पादन हेतु उपादानों का प्रयोग यथा बीज, उर्वरक, पौधा संरक्षण दवा, बुआई, सिंचाई आदि कार्य संबंधित कृषि समन्वयक के देख-रेख में किया जायेगा। उक्त कार्य के लिये कोई अतिरिक्त मानदेय/वेतन भत्ता देय नहीं होगा।

22. जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा संबंधित किसान सलाहकार एवं कृषि समन्वयक से बीज उत्पादन कार्यक्रम के कार्यान्वयन से संबंधित दायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित करायेगें।

23. दलहन फसलों के बीज उत्पादन में क्षेत्र विस्तार एवं वृद्धि हेतु अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा उपयुक्त प्रक्षेत्रों का चयन किया जायेगा तथा उक्त चयनित प्रक्षेत्रों में सुदृढीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत भूमि समतलीकरण का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा। भूमि का समतलीकरण लेजर लैंड लेवलर से किया जायेगा जो जी0ई0ओ0 पद्धति से सम्बद्ध रहेगा।

24. प्रक्षेत्र में बीज उत्पादन के लिए कतिपय मदों जैसे कि खेत की तैयारी, यंत्रों की मरम्मत, उपादानों के क्रय, मजदूरी के भुगतान एवं परिवहन आदि मदों में अग्रिम राशि के व्यय की

